IV 14/2018

1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA NO DICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 235834

Advocate

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक **04.04.2018** को **प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरन्द्र सिंह शाक्य** निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किषनी जिला मैनपुरी वर्तमान मैनपुरी रोड कुसमरा जिला मैनपुरी द्वारा निष्पादित किया गया है –

1. ट्रस्ट का नाम – माँ मीतादेवी–गिरन्दसिंह शाक्य सोशल वैलफेयर ट्रस्ट।

2. ट्रस्ट का पता – मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी (उ0प्र0)

शाखा कार्यालय – ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं।

3.ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष।

4. ट्रस्ट में लगाया गया धन–

ट्रस्ट में लगाया गया धन रु0 10000.00 (दस हजार रुपये मात्र नकद धनराशि) श्री **प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरन्दसिंह शाक्य** द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गई है।

4. ट्रस्ट के तत्व –मुख्य ट्रस्टीगण द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है.। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का निर्माता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार को आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार

उप कोषागार
भोगांव (मैनपुरी) 09/02

29 MAR 2018

उप कोषाधिकारी
भोगांव (मैनपुरी)

7286
29/03/18

50
7282

Ashutosh Kumar
Stamp Vendor Lic. [illegible]
Teh-Bhongaon (Mainpuri)

D. K. [illegible]
Advocate
Teh-Bhongaon (Mainpuri)

D. K. [illegible]
Advocate
Teh-Bhongaon (Mainpuri)

2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 235835

ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

<u>उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगें</u> –

1. श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री **गिरन्दसिंह शाक्य,** **मुख्य ट्रस्टी**
   निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी।
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरन्दसिंह शाक्य **मुख्य ट्रस्टी**
   निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी।
3. श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री दुर्गेश कुमार **सहायक ट्रस्टी**
   निवासी भैनपुरा छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
4. सुधा पुत्री श्री गिरन्दसिंह शाक्य **सहायक ट्रस्टी**
   निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी।
5. सरिता पुत्री श्री गिरन्दसिंह शाक्य
   निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी। **सहायक ट्रस्टी**

6. <u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u>–

1. युवक युवतियों कों उच्च तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना।
2. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
3. मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना।
4. समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं विद्यालयों प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट, उच्च शिक्षा में महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बी0एड0,बी0टी0सी0,एल0एल0बी0,एन0टी0टी0आदि)तकनीकी(आई0टी0आई0,

Praveen

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DS 207979

पॉलीटेक्निक) तथा कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, मेडीकल एवं नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करना व कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।

5. समय–समय पर समाजसेवी जनहितकारी कार्य करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
7. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग नागरिकों, वृद्धजनों, विधवा, अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

7. <u>ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य</u>–

1. ट्रस्ट में जनसामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन, दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गए खातों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि का लेन–देन करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी, अध्यक्ष व सचिव के सहहस्ताक्षरों तथा समयानुसार अध्यक्ष/सचिव के एकल हस्ताक्षरों से ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्थापित कॉलेजों अन्य संस्थाओं जिनका संचालन ट्रस्ट द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों पर पूर्णतः ट्रस्ट का अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DS 207980

3. यह किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त की जाती है ऐसी स्थिति में संस्था की समस्त सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

8. **<u>ट्रस्टियों की नियुक्ति</u>**– मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा नामित अथवा उसका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होगें। उत्तराधिकारी पुत्र या पुत्री ही ट्रस्टी होगें।

9. **संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन**– ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय अन्य संस्थाओं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होगीं की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य ट्रस्टी मिलकर करेगें। मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति का कोरम पूर्ण न होने की स्थिति में बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित किया जायेगा जिनकी संख्या अधिकतम दो होगी साथ ही प्रबन्ध समिति में प्रधानाचार्य/प्राचार्य पदेन व आवश्यकतानुसार एक या दो वरिष्ठ प्रवक्ता/कार्यरत शिक्षक एवं एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी एक वर्ष की अवधि तक वरिष्ठता क्रमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य होगें। मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष व सहट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति ही सचिव होगें

10. **<u>ट्रस्ट प्रमुख</u>**– प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरन्दसिंह शाक्य इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होगें। मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट प्रमुख होगें। सचिव पद पर दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरन्दसिंह शाक्य आसीन होगे। इनकी मृत्यु उपरांत इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी मुख्य ट्रस्टी, प्रमुख ट्रस्टी होगा। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का पुत्र या पुत्री मुख्य ट्रस्टी/पदाधिकारी/प्रमुख ट्रस्टी होगें। ट्रस्ट की समय स्थिति के अनुसार मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति जिसे लिखित अनुशंसा प्राप्त हो ट्रस्टी हो सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 916761

11. <u>ट्रस्टियों की संख्या</u>–ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर पाँच होगी। जिसमें वर्तमान में मुख्य ट्रस्टी सहित –

1.	श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरन्दसिंह शाक्य, निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी।	मुख्य ट्रस्टी
2.	दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरन्दसिंह शाक्य निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी।	मुख्य ट्रस्टी
3.	श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री दुर्गेश कुमार निवासी मु0 भैनपुरा कस्बा व तहसील छिबरामऊ जिला कन्नौज।	सहायक ट्रस्टी
4.	सुधा पुत्री श्री गिरन्दसिंह शाक्य निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी	सहायक ट्रस्टी
5.	सरिता पुत्री श्री गिरन्दसिंह शाक्य निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी	सहायक ट्रस्टी

Praveen

6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 085432

12. <u>ट्रस्ट की बैठक</u>— ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी। किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्धक की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13. <u>गणपूर्ति</u>— बैठक में समस्त ट्रस्टियों में से 2/3 ट्रस्टियों को उपस्थित होना अनिवार्य है।

14. <u>ट्रस्टी मंडल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u>—

(1) अध्यक्ष—

1. ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा की अध्यक्षता करेगें।
2. किसी भी स्कूल, महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी ट्रस्टियों द्वारा निष्पक्ष चयन हेतु नामित किया जायेगा।
3. मीटिंग बुलाने के लिए प्रबन्धक को अध्यक्ष समय—समय पर निर्देशित करेगा।
4. आवश्यक/महत्वपूर्ण निर्णयों पर अध्यक्ष की पूर्ण सहमति अनिवार्य होगी।

7

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 085433

(2) <u>प्रबन्धक / सचिव</u>–

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग की कार्यवाही लिखना तथा प्रतिनिधित्व करना।
2. ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
3. ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना।
4. ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं समय–समय पर निरीक्षण करना।
5. ट्रस्ट की ओर से समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, बंधक विलेखों, बिल–बाउचर पर हस्ताक्षर करना।

15. <u>लेखा परीक्षक</u>–ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टियों के मार्गदर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्य ट्रस्टियों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय–व्यय का हिसाब रखेगा एवं नियमित रूप से कानूनानुसार ऑडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय–व्यय बही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जाँच हेतु मुख्य ट्रस्टीगण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

8

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 085434

16. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन–

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिये प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा जिसके लिए मुख्य ट्रस्टीगण चुनाव अधिकारी को नियुक्त करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होगा।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्य ट्रस्टी और ट्रस्टी मिलकर करेगें यदि प्रबन्ध समिति का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर बाह्य सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेगें जिनकी संख्या अधिकतम दो पूर्व में निर्धारित की गई है।
4. गठित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।
5. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होगें। जिनकी संख्या नौ रहेगी।
   1. अध्यक्ष – एक
   2. उपाध्यक्ष – एक
   3. सचिव – एक
   4. कोषाध्यक्ष – एक (सदस्य)
   5. लेखा परीक्षक – एक (सदस्य)
   6. प्राचार्य /प्रधानाचार्य – पदेन
   7. प्रवक्ता– दो (वरिष्ठता क्रमानुसार एक वर्ष हेतु) नामित
   8. तृतीय श्रेणी – एक (वरिष्ठता क्रमानुसार एक वर्ष हेतु) नामित

9

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20

Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 085435

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक **04.04.2018** को साधारण जनता के हितो व लाभों के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों, डिग्री कॉलेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, परित्यक्ता महिलायें व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगियों के रोग निवारण हेतु तत्परता दिखाना, चिकित्सालय की स्थापना करना, ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्धार करना, निर्धन कन्याओं का विवाह आदि करवाना, यथा समय निर्धनों को दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

उपरोक्त ट्रस्ट बिना किसी लाभ हित के अलाभकारी कार्य करेगा।

ट्रस्ट में पारिवारिक सदस्यों की स्थिति में भी यह ट्रस्ट पारिवारिक स्थिति से परे रहेगा ।

उप कोषागार भोगाँव
27 MAR 2018

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रवीन कुमार, पुत्र श्री गिरेन्दसिंह शाक्य

निवासी: निवासी मैनपुरी रोड कुसमरा परगना व तहसील किशनी जनपद मैनपुरी

व्यवसाय: अध्ययन

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गिरेन्दसिंह शाक्य , पुत्र श्री कन्ही लाल

निवासी: निवासी डिलाह भाग दाऊदपुर परगना व तहसील किशनी जनपद मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री लाखन सिंह

निवासी: निवासी डिलाह भाग दाऊदपुर परगना व तहसील किशनी जनपद मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० प्रेमचन्द्र

उप निबंधक : भोगाँव

मैनपुरी

प्रिंट करें

10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 085436

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूरे होशोहवास में परिवारीजनों से सलाह मशविरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

तहरीर तारीख :- 04/04/018

लेखक- धर्मेन्द्र कुमार शाक्य एडवोकेट तहसील भोगांव, मैनपुरी।

गवाह :- गिरन्दसिंह शाक्य पुत्र श्री कन्हीलाल निवासी निवासी ग्राम डिलाह भाग दाऊदपुर परगना व तहसील किशनी जनपद मैनपुरी।

गवाह :-अनिल कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम डिलाह भाग दाऊदपुर परगना व तहसील किशनी जनपद मैनपुरी।

है विलेख 60

http://igrsup.gov.in/igrsup/...

INDIA NON JUDICIAL

TWENTY RUPEES

INDIA

उप कोषागार भोगांव (मैनपुरी) 09/08

उप कोषाधिकारी भोगांव (मैनपुरी)

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ 257 से ~~280 तक~~ क्रमांक 14 पर

दिनाँक 05/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

7282

29/03/18

Ashutosh Kumar

Stamp Vendor L.N. 96

Teh. Bhogaon (Mainpuri)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० प्रेमचन्द्र

उप निबंधक : भोगाँव

मैनपुरी

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 035971

(1)

<u>ट्रस्ट डीड</u>

(पूरक–पत्र)

मॉ मीतादेवी गिरन्द सिंह शाक्य सोशल वैलफेयर ट्रस्ट मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील तहसील किशनी जिला मैनपुरी पूरकपत्र

मैं कि प्रवीन कुमार पुत्र श्री गिरन्द सिंह शाक्य नि0 मैनपुरी रोड कुसमरा पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी का हूँ। विदित हो मुझ मुख्य ट्रस्टी ने मॉ मीतादेवी गिरन्द सिंह शाक्य सौशल वैलफेयर ट्रस्ट मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील भोगॉव जिला मैनपुरी में इस ट्रस्ट का रजिस्ट्री दिनांक–05.04.2018 वही–4 जिल्द–35 पृष्ठ–257 / 280 कमांक-14 पर दर्ज है। इस ट्रस्ट में प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं का समायोजित निम्नवत किया जा रहा है–

12166 500 11-11-2019

उप कोषागार
भोगाँव (मैनपुरी) 09/02

- 4 NOV 2019

उप कोषागार
भोगाँव (मैनपुरी)

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

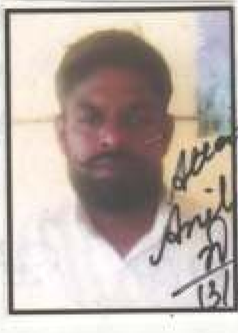
Attested
Anil
13/11/19

Attested
Gajendra Singh Shakya
13/11/19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 962650

(2)

1. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट आजीवन विधिमान्य है समय–समय पर एवं आवश्यकता पड़ने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा बदलाव किया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्धक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति / जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 962651

(3)

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंलिंग फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 962652

5. संस्था से शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 962653

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 040852

10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 10 तक स्वीकार हैं तथा इस ट्रस्ट का फण्ड 10,000/- रू0 है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 750/- का अदा किया जा रहा है।

13171 क्र० ... को० 20 ... ता० 11-11-2019 स्टाम्प 12166
नाम ... पुत्र/पत्नी ...
नि० ... पर० ... तह० ... जि० ...
नीरज कुमार स्टाम्प विक्रेता ला० नं०- 4
तह० -किशनी जि०-मैनपुरी

17 OCT 2019

आवेदन सं०: 201901033004657

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 17 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री प्रवीन कुमार ,
पुत्र श्री गिरन्द सिंह शाक्य
व्यवसाय : कृषि
निवासी: नि0 मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 13/11/2019 एवं 04:23:53 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० एन० सिंह
उप निबंधक :किशनी
मैनपुरी
13/11/2019

ब्रजेन्द्र सिंह किशनी
निबंधक लिपिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 040853

अतः मुझ मुकिर ने यह पूरक ट्रस्ट पत्र में उक्त प्राविधान दिनांक–13.11.2019 से प्रभावी होगा तथा यह पूरक ट्रस्ट पत्र दिनांक–13.11.2019 से मुख्य ट्रस्ट का भाग जाना जायेगा को तहरीर कर दिया है जो सनद रहे व वक्त पर काम आवे। .....

क्र० 12172 बही सं० 20 ता० 11-11-2019 क्र० 12166
नाम .... पुत्र/पत्नी ....
नि० .... परग० .... तह० .... जि० ....
नीरज कुमार स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-2
तह०-किशनी जि०-मैनपुरी

17 OCT 2019

आवेदन सं०: 201901033004657

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 17 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रवीन कुमार, पुत्र श्री गिरन्द सिंह शाक्य

निवासी: नि0 मैनपुरी रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अनिल कुमार , पुत्र श्री लाखन सिंह

निवासी: नि0 डिलहा मौजा दाऊदपुर तह0 किशनी जिला मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

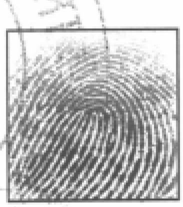

पहचानकर्ता : 2

श्री गिरन्द सिंह , पुत्र श्री कन्हीलाल

निवासी: नि0 मैनपुरी रोड कुसमरा तह0 किशनी जिला मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

बी० एन० सिंह
उप निबंधक : किशनी
मैनपुरी

ब्रजेन्द्र सिंह किशनी
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 712378

(8)

मसौदा एवं फोटो सत्यापित जितेन्द्र कुमार शाक्य एड0 तहसील किशनी जिला मैनपुरी।

गवाह–1. अनिल कुमार पुत्र श्री लाखनसिंह नि0 डिलहा मौजा दाऊंदपुर पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी।

गवाह–2. गिरन्द सिंह पुत्र श्री कन्हीलाल नि0 मैनपुरी रोड कुसमरा तह0 किशनी जिला मैनपुरी।

उप कोषागार
भोगाँव (मैनपुरी) 09/02
17 OCT 2019
उप रोकड़िया
भोगाँव (मैनपुरी)

1203 10 11-11-2019 लाo नo 12/16
नाम
नि
तह० जि०
नीरज कुमार स्टाम्प विक्रेता ला०नं०- 4
तह०-किशनी जि०-मैनपुरी

आवेदन सं०: 201901033004657

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 2 के पृष्ठ 1 से 18 तक क्रमांक 17 पर
दिनाँक 13/11/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० एन० सिंह
उप निबंधक : किशनी
मैनपुरी
13/11/2019